



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



सीबीएसई/समन्वय/आईपीएस/परीक्षा-2023/2024

दिनांक: 15/02/2024

सेवा में,

सीबीएसई के सभी क्षेत्र के
क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी

विषय: वर्ष 2023 परीक्षाओं के लिए परीक्षा और मूल्यांकन कार्य में शामिल पदाधिकारियों को ऑफ़लाइन भुगतान (मुख्य और पूरक दोनों) के संबंध में

महोदया/महोदय,

यह दिनांक 26.12 2023 & 24 01 2024 के परिपत्रों के संदर्भ में है, जिसके तहत 2023 बोर्ड परीक्षाओं (मुख्य और पूरक दोनों) के लिए परीक्षा और मूल्यांकन गतिविधियों के लिए IPS मॉड्यूल बंद कर दिए गए थे। यह देखा गया है कि आईपीएस में ब्यौरे/दावे प्रस्तुत करने के लिए पदाधिकारियों को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी, उन्होंने आईपीएस में अपने विवरण/दावे नहीं जमा करवाए जिसके परिणामस्वरूप भुगतान नहीं किया जा सका/हो पाया।

सभी क्षेत्रीय निदेशकों/अधिकारियों से अनुरोध है कि वे 2023 बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन गतिविधियों के लिए तैनात पदाधिकारियों से दावे और विवरण प्राप्त करें, जिन्हें आईपीएस के माध्यम से भुगतान नहीं मिला है और इन दावों को ऑफ़लाइन मोड में संसाधित करें और आईपीएस में इसे अपडेट करें।

वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन गतिविधियों के भुगतान के लिए शेष सभी पदाधिकारियों को इस पत्र के जारी होने के दो महीने के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने दावे 15 अप्रैल 2024 तक प्रस्तुत करने चाहिए

इस अवधि के बाद किसी को भी दावे प्रस्तुत करने का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-

(डा संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक